पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या – 02/2025

नवान :

1.रणजीत सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2.गुरमीत सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। वादीगण

बनाम

1.हरजीत कौर पत्नी नरवेलसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2.हरदयाल सिंह पुत्र नरवेलसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3.अमरजीत सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिबबी जिला हनुमानगढ़।

4.सरजीत सिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादीगण श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं० 5 टी.एल.डबल्यू. के खाता सं० 312/90 में अंकित 4.264 है० आराजी मे से प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 प्रत्येक के नाम की 137/95940 हिस्सा की आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 5 टी.एल.डबल्यू. के खाता सं० 312/90 में से प्रतिवादी सं० 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक कलेक्टर

टिब्बी